भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3465

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुदृढ़ करने में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की भूमिका

3465. डॉ. के. सुधाकरः
श्री भोजराज नागः
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः
श्री विजय बघेलः
श्री अनुराग शर्माः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
श्री आलोक शर्माः
श्री हरिभाई पटेलः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की भूमिका के संबंध में कोई समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से शुरू से अंत तक नजर रखने, निगरानी, पारदर्शिता और निधि के वास्तविक समय के अंतरण में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या प्रभावी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पीएफएमएस का केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एकीकरण सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा कोई पहलें की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता, जवाबदेही, समय पर निधि के उपयोग और पारदर्शिता में सुधार लाने में पीएफएमएस ने किस प्रकार योगदान दिया है; और

(ङ) क्या सरकार का पीएफएमएस की प्रभावशीलता, अंतर-संचालनशीलता और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसी अन्य प्रौद्योगिकीय उन्नयन या नीतिगत उपायों का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): जी हां। डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), व्यय विभाग (डीओई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा समिति (एसएलआरसी) को पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएफएमएस की समीक्षा करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार, पीएफएमएस को डीबीटी भुगतान को संसाधित करने के लिए कई बाहरी प्रणालियों (केंद्र/राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसी), बैंकों और एनपीसीआई के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे निर्बाध निधि अंतरण और बेहतर अंतर-संचालनीयता सक्षम हो सके।

सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ पीएफएमएस के एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पीएफएमएस को, लाभार्थी सूची तैयार करने और उस पर कार्रवाई करने, लाभार्थी को भुगतान (एपीबी के माध्यम से या सीधे बैंक खातों में), लेखांकन, उपयोग प्रमाण पत्र तैयार करने और मंत्रालय से अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करने के बाद मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खर्च की गई सरकारी निधि की रिपोर्टिंग के लिए एक एंड-टू-एंड समाधान के रूप में, विकसित किया गया है।

पीएफएमएस ने शिकायत निवारण के लिए कई चैनलों की व्यवस्था की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए डीबीटी ओपन हाउस आयोजित किया जाता है। यह हितधारकों को पीएफएमएस टीम के साथ सीधे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पीएफएमएस हितधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों के व्यवस्थित और संरचित निपटान के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली का भी उपयोग करता है।

पीएफएमएस को भुगतान, लेखांकन और मंत्रालयों के बीच लेनदेन के मिलान के लिए एकीकृत मंच के रूप में अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए प्रोटोकॉल बढ़ाए गए हैं, जिसमें दावा संबंधी फाइलों की आंशिक स्वीकृति, आधार डेटा का अग्रिम साझाकरण और बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकरण करना शामिल है। पीएफएमएस ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता, जवाबदेही और समय पर निधि के उपयोग में सुधार की दिशा में काफी योगदान दिया है। निधियों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग ने देरी और लीकेज को कम किया है, जबकि प्रत्यक्ष लाभार्थी ऋण ने संवितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। स्वचालित मिलान और रिपोर्टिंग ने जवाबदेही को सुदृढ़ किया है, और सीआरएम प्रणाली ने हितधारकों के प्रति जवाबदेही में सुधार किया है।

प्रौद्योगिकी की गतिशील प्रकृति को देखते हुए, सामान्य व्यवसाय संचालनों और निरंतर सुधार पहलों के भाग के रूप में निरंतर आधार पर उन्नयन और संवर्द्धन किए जाते हैं।
